ISSN : 2350- 0050

मंतव्य
10

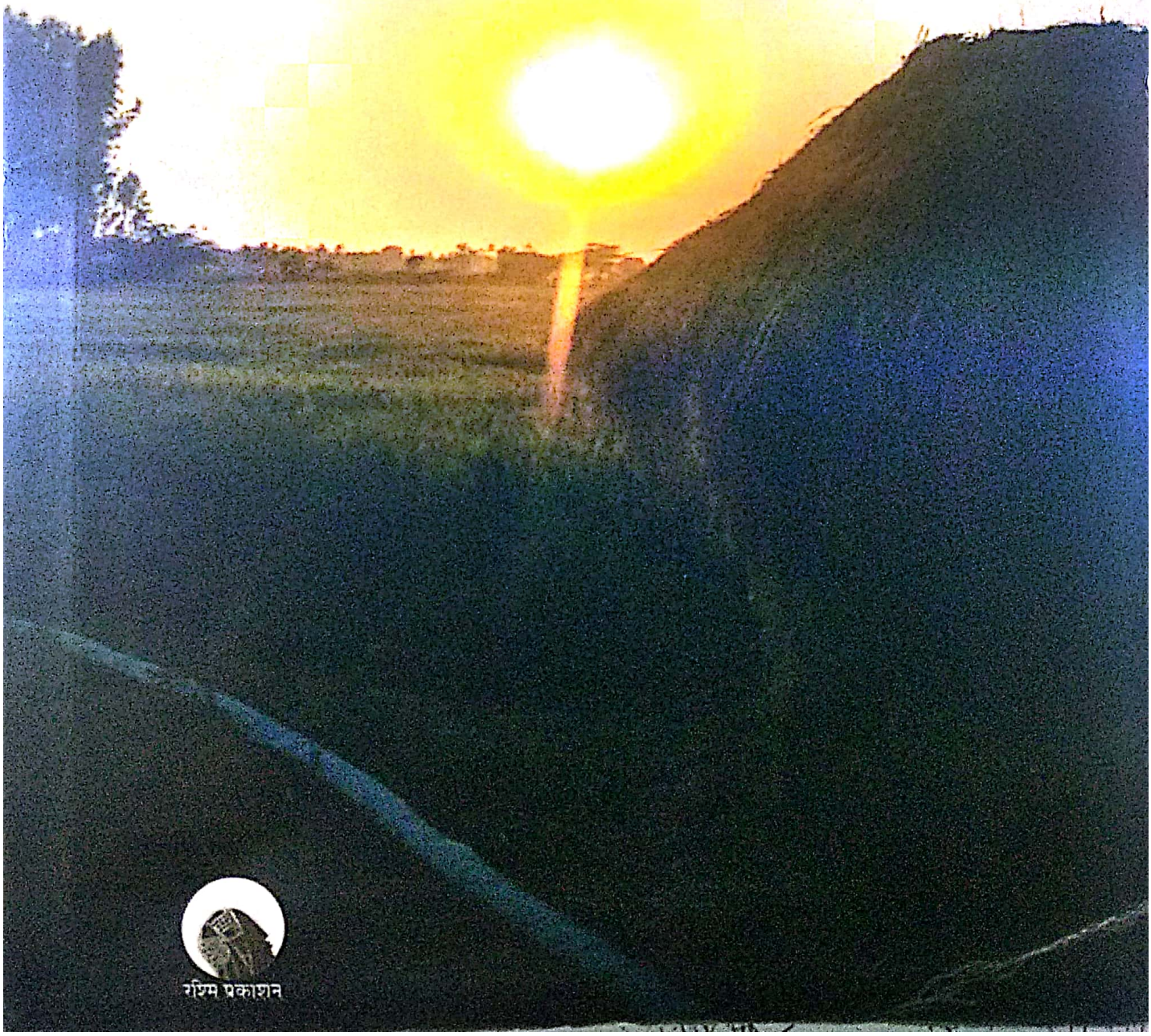

रश्मि प्रकाशन

Scanned by CamScanner

एक शताब्दी पूर्व का इतिहास

राष्ट्रीय आन्दोलन को नयी दिशा मिली थी 1919 में

पवन कुमार

नई सदी में पुरानी सदी का सैलानी
गुज़िश्ता अहद के आसार ढूँढने निकला

किसी शायर के इस शेर के अंतस को स्पर्श करते हुए अब से ठीक एक शताब्दी पूर्व के वर्ष अर्थात् 1919 की यादें ताज़ा करें, तो यह एहसास होता है कि भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए यह एक स्मरणीय वर्ष है। इस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को एक नया नायक महात्मा गाँधी के रूप में मिला, जिनके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन ने नयी दिशा में बढ़ने का संकल्प लिया। इस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को नया नेतृत्व तो मिला ही, नये आन्दोलकारी भी मिले, नयी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं इत्यादि-इत्यादि। 1919, गाँधी जी के राष्ट्रीय आन्दोलन में नायक के रूप में स्थापित होने का वर्ष था। न केवल गाँधी जी बल्कि कतिपय अन्य नेताओं के राजनीतिक जीवन शुरुआत भी 1919 में ही हुई। इन नेताओं में सत्यमूर्ति, जवाहर लाल नेहरू, खलीकुज्जमा, जमुनादास, द्वारिका दास, शंकर लाल बैंकर, इंदु लाल याज्ञिक प्रमुख थे। यद्यपि राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात 1857 में ही हो चुका था, लेकिन यह आंदोलन संवैधानिक सुधार, स्वदेशी आन्दोलन, होमरूल लीग जैसे क्रमिक उतार-चढ़ावों के बाद 1919 में गाँधी युग के शुरुआत होने तक पहुँचा।

1919 का वर्ष भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को नयी दिशा देने में किस तरह महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, यह जानने के लिए यह आवश्यक होगा कि पहले तत्कालीन भारतीय सामाजिक-राजनैतिक परिस्थितियों को समझ लिया जाये। 1919 तक होमरूल लीग की शाखाएं देश के

Scanned by CamScanner

विभिन्न राज्यों में फैल चुकी थीं। यह बात दीगर है कि होमरूल लीग चलाने वाले दोनों नेताओं, तिलक और बेसेन्ट की आन्दोलन से सक्रिय भूमिका समाप्त हो चुकी थी। लीग की शाखाएं पूरे देश में फैली हुई थीं, लेकिन नेतृत्व के अभाव में ये शाखाएं निष्क्रिय हो चुकी थीं और इनसे जुड़े कार्यकर्ताओं में निराशा की भावना घर कर गयी थी। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। भारतवासियों ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ इस विश्वास के साथ दिया था कि युद्धोपरान्त भारत को स्वशासन मिल जाएगा, लेकिन विश्व युद्ध समाप्ति के पश्चात यह विश्वास बुरी तरह टूटा। स्वशासन तो दूर की बात थी, दमनकारी कानून जनता पर लाद दिये गये। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय नेताओं ने अंग्रेज़ी हुकूमत को समर्थन दिया था। लगभग चार साल तक चले इस विश्व युद्ध में 10 लाख भारतीय सैनिक भर्ती हुए। 70 हजार से ज्यादा भारतीय मारे गये, जबकि इतने ही घायल हुए। ये उम्मीद थी कि भारतीयों के इस समर्पण से ब्रितानी हुकूमत निश्चित ही सहानुभूतिपूर्वक रवैया अपनाते हुए भारतीयों को 'स्वशासन' का उपहार देगी। विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो भारतीयों को विश्वास था कि अंग्रेज़ी हुकूमत इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएगी, लेकिन 1919 के आरंभ तक भारतीयों में यह भावना जन्म लेने लगी कि अंग्रेज़ी हुकूमत से उनकी अपेक्षाएं निरर्थक थीं। अंग्रेज़ी हुकूमत ने भारतीयों के समर्पण एवं सहयोग को दरकिनार करते हुए दमनकारी रवैया जारी रखा। 'रौलेट एक्ट' जैसा कानून लाद दिया गया। युद्ध के पश्चात ऐसे सामाजिक और आर्थिक हालात पैदा हो गये थे कि जनता में अंग्रेज़ी राज के विरूद्ध व्यापक असंतोष पनपा। युद्धोपरान्त करों एवं ऋण के भारी बोझ, मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, आवश्यक वस्तुओं के अभाव, अकाल, महामारी ने जनता के हर वर्ग को खिन्नता से भर दिया।

भारतीय मुसलमानों में भी ब्रिटिश हुकूमत के प्रति नाराज़गी बढ़ी। तुर्की विरोधी ब्रिटिश नीति के कारण भी मुसलमानों में व्यापक असंतोष उभर रहा था। 1918 में कांग्रेस एवं लीग के संयुक्त अधिवेशन के पश्चात राष्ट्रीय राजनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन आ चुका था। राजनैतिक परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन रही थीं कि कांग्रेस से नरमपंथियों का प्रभाव समाप्त हो रहा था, गरमपंथी नेताओं का प्रभाव बढ़ रहा था। उधर मुस्लिम लीग पर भी सर्व इस्लामवादियों का कब्ज़ा हो चुका था।

बहरहाल ऐसे में भारतीयों की प्रतिक्रिया का कारण बना 'रौलेट एक्ट'। फरवरी, 1919 में दो बिल केंद्रीय धारा सभा में पेश किये गये। इनके द्वारा युद्ध काल में लगाये गये प्रतिबंधों को स्थायी रूप दिया जाना था। यह भी प्राविधान किया गया कि राजद्रोहात्मक कार्यों के संदेह मात्र पर ही किसी व्यक्ति को बिना मुक़दमा चलाये दो वर्षों के लिए क़ैद किया जा सकता था या नज़रबंद किया जा सकता था। इसमें अपील के अधिकार की व्यवस्था भी समाप्त कर दी गयी थी। धारा सभा में सभी भारतीय सदस्य इस कानून के विरोध में थे। इसे बाद में 'रौलेट एक्ट' कहा गया।

इस कानून के विरोध में 24 फरवरी, 1919 को गाँधी जी ने साबरमती आश्रम में वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, उमर सोबानी, शंकरलाल बैंकर, इंदुलाल याज्ञिक जैसे समर्थकों की उपस्थिति में 'सत्याग्रह संकल्प' लिया। संकल्प में यह उल्लेख किया गया कि इन विधेयकों का यदि कानून का दर्ज़ा दिया गया, तो वापस न लिये जाने तक सविनय अवज्ञा आन्दोलन किया

Scanned by CamScanner

जाएगा। गाँधी जी ने इसी दिन वायसराय को भी पत्र द्वारा सूचित किया कि इन विधेयकों को कानून का दर्जा न दिया जाये, लेकिन सारे विरोधों को दरकिनार करते हुए 21 मार्च को प्रथम विधेयक को (रौलेट एक्ट) कानून का रूप दे दिया गया। इस कानून के विरोध में गाँधी जी अपना विरोध पहले ही दर्ज़ करा चुके थे। भारतीयों ने इसे 'काला कानून' कह कर विरोध किया। भारतीयों ने इसे 'बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील' वाला कानून घोषित किया। कानून बनते ही 23 मार्च को गाँधी जी ने 'सत्याग्रह' की घोषणा कर दी। सत्याग्रह इस अर्थ में एक नयी युक्ति थी कि इसमें उपवास, प्रार्थना, हृदय की शुद्धि, हड़ताल, अहिंसक प्रदर्शन जैसे तत्व शामिल थे। इस अधिनियम के पारित होने से भारतीय जनता में रोष बढ़ा। अप्रैल, 1919 में रॉलेट कानून के विरूद्ध देश भर में जगह-जगह प्रदर्शन हुए। सत्य तो यह है कि 1857 के महान विप्लव के बाद पहली बार 1919 में ही अखिल भारतीय स्तर पर जनान्दोलन शुरू हुआ।

इन कानूनों के विरोध में पहले 30 मार्च और बाद में 6 अप्रैल को देश भर में हड़ताल आयोजित की गयी। इन अखिल भारतीय हड़तालों का पूरे देश में असर हुआ। स्थानीय नेताओं ने आन्दोलन को संचालित किया। प्रसिद्ध आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद ने जामा मस्जिद में भारी भीड़ को संबोधित किया। 06 अप्रैल की हड़ताल को दृष्टिगत रखते हुए गाँधी जी तीन दिन पहले ही मुंबई पहुँच गये। गाँधी जी ने हजारों समर्थकों के साथ चौपाटी पर हड़ताल की। इस अवसर पर 'हिंद स्वराज' व 'सर्वोदय' जैसी किताबों की ज़बरदस्त बिक्री हुई। महात्मा गाँधी ने इसी बीच ग़ैर पंजीकृत 'सत्याग्रह' समाचार पत्र प्रकाशित करना शुरू किया। बम्बई में हड़ताल का नेतृत्व करने के बाद गाँधी जी ने इस कानून का विरोध करने पंजाब जाने का निर्णय किया। पंजाब जा रहे गाँधी जी को 09 अप्रैल को दिल्ली-अमृतसर से जाते हुए पलवल में रोक लिया गया। उन्हें वापस भेज दिया गया। गाँधी जी की गिरफ़्तारी की ख़बर पूरे देश में फैल गयी, जनता ने कई स्थानों पर हिंसात्मक प्रदर्शन किये। देश के विभिन्न भागों में यथा, बंबई, गुजरात, बंगाल में कलकत्ता, पंजाब के विभिन्न शहरों में, मद्रास, बिहार, बरार, मध्य प्रांत आदि में स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में रौलेट सत्याग्रह आयोजित किये गये। पंजाब में इन हड़तालों का उल्लेखनीय असर हुआ। पंजाब वैसे भी राष्ट्रवादी आन्दोलन का महत्वपूर्ण केन्द्र था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना में सबसे बड़ी सैनिक भर्ती पंजाब से ही की गयी थी। पंजाब में इन दिनों स्थानीय प्रशासन भी अत्यंत दमनकारी था।

पंजाब में इन सब परिस्थितियों के कारण 'सत्याग्रह आन्दोलन' को अन्य प्रांतों की अपेक्षा कहीं ज्यादा समर्थन हासिल हुआ। अमृतसर में 30 मार्च व 06 अप्रैल की हड़ताल शान्तिपूर्वक आयोजित की गयी। 09 अप्रैल को स्थानीय नेता डॉ. सैफुद्दीन किचलू व डॉ. सत्यपाल के नेतृत्व में रामनवमी का जुलूस निकाला गया, जिसमें हिन्दू-मुस्लिम दोनों समुदायों ने योगदान किया। राष्ट्रवादियों की इस मुहिम ने पंजाब के ले. गवर्नर माइकल, ओ. डायर को डरा दिया। उसने आन्दोलन का दमन करने का निर्णय लिया और दोनों नेताओं को गिरफ़्तार कर लिया गया। ओ. डायर के इस क़दम से जनता में असंतोष व्याप्त हो गया। इस कार्यवाही को लेकर 10 अप्रैल को जब स्थानीय जनता अपना विरोध प्रकट करने डिप्टी कमिश्नर के बंगले की ओर जा रही थी, तो पुलिस ने इस भीड़ पर गोली चला दी। प्रशासन के इस क़दम से जनता भड़क गयी, तनाव

Scanned by CamScanner

बहुत बढ़ गया और उस दिन कई बैंकों, सरकरी भवनों, टाउन हॉल, रेलवे स्टेशन में आगजनी की गयी। इस प्रकार हिंसा का माहौल बना, जिसमें पाँच यूरोपीय नागरिकों और आठ से बीस भारतीयों की मृत्यु हुई। अगले दो दिनों में अमृतसर तो शांत रहा, पर हिंसा पंजाब के कई क्षेत्रों में फैल गयी और तीन और यूरोपीय नागरिकों की हत्या हुई। जनता के असंतोष और प्रतिक्रिया को देखते हुए 11 अप्रैल को अमृतसर में सैनिक शासन लागू कर दिया गया। शहर में धारा 144 लगा दी गयी, जिसके तहत सभा करना, जुलूस निकालना आदि गैर कानूनी घोषित कर दिये गये। इसी दौरान 13 अप्रैल को जलियाँवाला बाग में डॉ. सत्यपाल एवं डॉ. किचलू की गिरफ़्तारी के विरोध में आम सभा प्रस्तावित की गयी। चूँकि धारा-144 की सूचना समुचित तरीक़े से प्रचारित नहीं की गयी थी, अतएव 13 अप्रैल को बैशाखी के अवसर पर मेला देखने आस-पास के कई गाँवों के लोग जलियाँवाला बाग के मैदान में एकत्र हो गये। लगभग 20,000 की भीड़ एकत्र थी, जिसमें बड़ी संख्या में स्त्रियाँ व बच्चे भी शामिल थे। सभा की सूचना मिलते ही ब्रिगेडियर जनरल आर. डायर सेना की एक टुकड़ी लेकर वहाँ पहुँचा। बिना कोई हिदायत दिये ब्रिगेडियर जनरल डायर ने गोली चलाने का हुक़्म दे दिया। 1600 राउन्ड गोलियाँ चलीं। सरकारी सूत्र बताते हैं कि 379 लोग मारे गये तथा 1200 लोग घायल हुए। ग़ैर सरकारी अनुमानों के अनुसार एक हजार से भी ज्यादा लोग मारे गये। पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार कम से कम 1300 लोग मारे गये। स्वामी श्रद्धानंद के अनुसार मरने वालों की संख्या 1500 से अधिक थी, जबकि अमृतसर के तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर स्मिथ के अनुसार मरने वालों की संख्या 1800 से अधिक थी। पूरा देश इस नृशंस नरसंहार की घटना के विरोध में उठ खड़ा हुआ। डायर को सेवामुक्त कर दिया गया। यद्यपि इससे पूर्व सरकार ने डायर को बचाने का भरसक प्रयास किया।

इस घटना के विरोध में भारतीय नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। रवीन्द्र नाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध में ब्रिटेन सरकार से प्राप्त 'नाइट हुड' पदवी का परित्याग कर दिया। बहुत से नेताओं ने, जो कि सदन के सदस्य थे, विरोधस्वरूप अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। शंकरनायर ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से, जबकि मालवीय और मजहरूल हक़ ने धारा सभा से त्यागपत्र दे दिया।

समूचे पंजाब पर मार्शल लॉ थोप दिया गया। नेताओं और आम जनता को गिरफ़्तार करके जेलों में भर दिया गया। लोगों को हर तरह अपमानित किया गया। अमृतसर की एक गली में उनसे कटार की नोक पर पेट के बल रेंगने को मज़बूर किया गया। प्रेस पर कड़ी सेंसरशिप लागू थी। दिन बीतने के साथ ही सरकार की वाहियात कारगुज़ारियों की भनक पूरे देश को लगने लगी। गाँधीजी ने पंजाब पहुँचने के लिए वायसराय से अनुमति माँगी। उन्होंने इनकार कर दिया। गाँधीजी ने जितनी बार अनुमति माँगी, वायसराय ने कहा, 'अभी नहीं'। गाँधीजी को पूरे छह महीने बाद पंजाब जाने दिया गया।

18 अप्रैल को गाँधी जी ने प्रतिरोध में प्रयुक्त हिंसा को देखते हुए सत्याग्रह को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया। यह अलग बात है कि यह अन्दोलन फिर कभी पुनर्जीवित नहीं किया गया। हालांकि इस आन्दोलन के वापस लिये जाने के कारण बंबई व गुजरात के तमाम कार्यकर्ताओं ने अपनी नराज़गी भी प्रकट की। जून, 1919 में कांग्रेस ने जाँच समिति गठित की,

Scanned by CamScanner

जिसमें मोतीलाल नेहरू, चितरंजनदास, फ़ज़लुलहक, अब्बास तैयब जी व गाँधी जी शामिल थे। इस समिति के सचिव के. संथानम थे।

हालांकि रॉलेट सत्याग्रह का मूल लक्ष्य रॉलेट कानूनों की वापसी नहीं पाया जा सका, किन्तु इस जन विरोध का ही यह प्रभाव था कि यह कानून अगले तीन वर्ष तक लागू नहीं किया जा सका। अंग्रेज़ी शासन भी अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने पर मज़बूर हुआ। रॉलेट सत्याग्रह का वास्तविक महत्व राष्ट्रीय आंदोलन पर पड़ने वाले दूरगामी प्रभावों में निहित है। यह आन्दोलन 1857 के पश्चात सबसे बड़े जनान्दोलन के रूप में स्थापित हुआ। भारत में इससे पूर्व कभी भी इस तरह का संगठित विरोध-प्रदर्शन देखने को नहीं मिला था।

सरकार ने भी इसे दबाने के लिए कई स्थानों पर लाठी-चार्ज और गोली चलाने जैसे क्रूर उपायों का प्रयोग किया था। सेना की इस टुकड़ी में पचास से अधिक बलूची और गोरखा राइफल मैन थे। सत्याग्रह के पश्चात 'अनुनय-विनय-निवेदन' की नरमपंथी राणनीति को धता बता दिया गया। ब्रिटिश सत्ता से सीधे संघर्ष की मनोदशा तैयार करने में रौलेट सत्याग्रह का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस आन्दोलन में समाज के सभी वर्गों, समूहों, जातियों का जुड़ाव होना, इस बात का प्रतीक बना कि आगामी आन्दोलनों में ब्रिटिश सरकार की बड़ी चुनौती मिलने वाली थी।

जालियाँवाला बाग हत्याकाण्ड की विश्वव्यापी निंदा हुई, जिसके दबाव में भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट एडविन मॉण्टेगू ने 1919 के अंत में इसकी जाँच के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया। कमीशन के सामने ब्रिगेडियर जनरल रेजीनॉल्ड डायर ने स्वीकार किया कि वह गोली चला कर लोगों को मार देने का निर्णय पहले से ही लेकर वहाँ गया था। इस हत्याकांड पर भारतीय राजनीतिक संगठनों और जनता की प्रतिक्रिया को देखते हुए हुकूमत ने 19 अक्टूबर 1919 को हंटर समिति का गठन किया। कांग्रेस ने अपनी समिति नियुक्त की, जिसमें गाँधी जी, जयकर, तैयब जी, सी. आर. दास शामिल थे। के. सन्थानम इस पार्टी के सचिव थे।

हिन्दू-मुस्लिम एकता को ध्यान में रखते हुए दोनों वर्गों के बीच समन्वय और एकता कायम रखने के उददेश्य से अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस का गठित किया जाना इस वर्ष की महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना रही। 1919 में दिल्ली में हुए ऑल इंडिया खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में गाँधी जी चुने गये। उन्होंने सरकार को धमकी दी कि यदि ख़लीफा के साथ न्याय नहीं किया गया, तो वह सरकार के साथ असहयोग करेंगे। इसी वर्ष के आख़िर में खिलाफत कांग्रेस का एक अधिवेशन अमृतसर में भी आयोजित किया गया।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय आन्दोलन की गतिविधियों को देखते हुए वर्ष 1919 इसलिए भी स्मरणीय है क्योंकि इस वर्ष उत्तर प्रदेश में किसान सभा की गतिविधियाँ उल्लेखनीय रूप से दर्ज़ की गयीं। महज एक वर्ष पूर्व गठित किसान सभा ने किसानों की आवाज़ को प्रभावशाली तरीक़े से उठाया। किसानों को संगठित करने में इस संगठन ने महत्वपूर्ण कार्य किया। इस संगठन को जवाहरलाल नेहरू ने अपने सहयोग से शक्ति प्रदान की। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1917 में मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और गौरीशंकर मिश्र आदि के प्रयासों से हुआ था। 1919 के अन्तिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में 'नाई-धोबी बंद' सामाजिक बहिष्कार की पहली संगठित कार्रवाई थी।

Scanned by CamScanner

1919 के आख़िर तक आते-आते 23 दिसम्बर को भारत सरकार अधिनियम, 1919 भी पारित कर दिया गया। यह अधिनियम सचिव मांटेग्यू तथा वायसराय लार्ड चेम्सफोर्ड की संस्तुतियों पर आधारित था। इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गयी। जिसके अन्तर्गत निर्वाचित सदस्यों द्वारा शासन किया जाता था, लेकिन प्रशासन का मुखिया गवर्नर ही था। प्रान्तीय विषयों को आरक्षित, हस्तान्तरित में विभाजित किया गया। महिलाओं को मतदान देने का अधिकार प्रदान किया गया। प्रान्तीय विधान परिषदों का पुनर्गठन किया गया। गवर्नर जनरल को ऐसे विशेषाधिकार प्रदान किये गये, जिनका प्रयोग वह व्यवस्थापिका की सहमति के बिना भी कर सकता था। इस प्रकार केन्द्र में अनुत्तरदायी शासन बनाये रखा गया। इस अधिनियम में मुसलमानों के अतिरिक्त सिक्खों, यूरोपियनों, आंग्ल-भारतीयों तथा ईसाइयों के लिए भी पृथक निर्वाचन व्यवस्था लागू कर दी गयी। इस प्रकार साम्प्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया। स्पष्ट है कि विभाजन और अनुत्तरदायी प्रशासन की ब्रिटिश नीति यथावत बनी रही। इसी वर्ष प्रशासनिक सुधारों के लिहाज से फीथम कमेटी नियुक्त की गयी, जिसमें यह सुझाव दिया कि विभिन्न विषयों पर कानून बनाने के लिए केन्द्र और प्रान्तों के मध्य विषय विभाजन होना चाहिए।

इस प्रकार 1919 के पृष्ठों को खंगालने से ज़ाहिर होता है कि भारत के इतिहास में यह वर्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण था। जलियाँवाला बाग जैसा नृशंस हत्याकांड हुआ, जिसके ज़ख्म हमेशा-हमेशा हरे बने रहे। इस दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारतीयों ने जाति, धर्म, प्रदेश को छोड़कर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए उल्लेखनीय एकजुटता दिखाई। 1857 के महान विप्लव के बाद पहली बार 1919 में अखिल भारतीय स्तर पर जनांदोलन हुआ। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसी वर्ष महात्मा गाँधी जैसे अद्वितीय-अद्भुत व्यक्ति राष्ट्रीय आन्दोलन के नायक के रूप में स्थापित हुआ। राष्ट्रीय राजनीति में सत्य एवं अहिंसा जैसे नैतिक मूल्यों एवं सत्याग्रह रूपी जुझारू हथियार का पदार्पण हुआ, जो कि भारतीय राजनीति के लिए नयी बात थी।

(लेखक भारतीय प्रशासनिक सेवा में वरिष्ठ अधिकारी हैं)

Scanned by CamScanner